आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

I

पत्र संख्या - 9-B-11-21/2024/176(9)B दिनांक - 22-May-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 20 42100111045010336	22964	DHNMED079	7,000,000.00
	4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय			रुपये सत्तर लाख
	01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं		DINESH KUMAR GINDAURIA SUPT.SHAHEED N.M.M.C. HOSPITAL	
	110 - अस्पताल तथा औषधालय			
	45 - मेडिकल कॉलेजे एवं 500 शय्या वाले अस्पतालें - आधार भूत संरचना			
	01-मेडिकल कॉलेज और 500 विस्तर वाले अस्पताल. नवीनीकरण और मरम्मत सहित बुनियादी ढांचा का निर्माण, ड्रग्स, मशीन उपकरण, फर्नीचर, पैरा मेडिकल स्टाफ आदि की खरीद।		36 - चिकित्सकीय आपूर्ति	
	State Scheme			

State Scheme : MEDICAL COLLEGES & 500 BEDDED HOSPITALS-ESTABLISHMENT COST, STIPEND ETC.(1674)

Centeral Scheme : NA

योग: रुपये सत्तर लाख 7,000,000.00

क्रमिक योग:

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

10.92.23.5

Run Date: 22/5/2026

वित्तीय वर्ष **2026-27** में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं॰ - 20 स्वास्थ्यए चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय पर पूंजीगत परिव्यय & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 45 - मेडिकल कॉलेजे एवं 500 शय्या वाले अस्पतालें - आधार भूत संरचना

Sl No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20S42100111045010336	Total
					चिकित्सकीय आपूर्त्ति	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dhanbad	DHNMED079	Dinesh Kumar Gindauria	Supt.Shaheed N.M.M.C. Hospital	₹70,00,000.00 (22964)	₹70,00,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹70,00,000.00 (सत्तर लाख **) रूपये मात्र |**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

पत्र सं०:–09/बजट–11–21/2024 176(9) व

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
धनबाद।

राँची, दिनांक:– 21/05/26

विषय:– वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद के लिए Phacoemulsification Machine के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल 70,00,000/– (सत्तर लाख) रूपये मात्र का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद के पत्रांक–550 दिनांक–09.04.2026 से प्राप्त अधियाचना एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–175(9)ब दिनांक–18.05.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य योजना अंतर्गत शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद के लिए Phacoemulsification Machine के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल 70,00,000/– (सत्तर लाख) रूपये मात्र का आवंटित की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

3. योजना पर होने वाले व्यय का विकलन बजट शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–110–अस्पताल तथा औषधालय–45–मेडिकल कॉलेज एवं 500 शय्यावाले अस्पतालें–आधार भूत संरचना–01–मेडिकल कॉलेज और 500 बिस्तर वाले अस्पताल, नवीनीकरण और मरम्मत सहित बुनियादी ढ़ांचा का निर्माण, ड्रग्स, मशीन उपकरण, फर्नीचर, मेटैरियल्स आपूर्ति आदि की खरीद–03–प्रशासनिक व्यय–36–चिकित्सीय आपूर्ति (विपत्र कोड 20एस–4210–01 –110– 45–01–03–36) में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अधीक्षक, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद होंगे तथा इस राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

5. राशि की निकासी धनबाद कोषागार से की जायेगी।

6. किसी भी परिस्थिति में दायित्व उत्पन्न नहीं किया जायेगा। राशि का व्ययन पदाधिकारी द्वारा पूरी पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा के साथ किया जायेगा।

7. Phacoemulsification Machine के मशीन उपकरणों का क्रय प्रतिष्ठित कम्पनी से नियमानुसार खुली निविदा/ई–टेन्डरिंग/Gem Portal के माध्यम से किया जायेगा।

8. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन की जाएगी।

9. क्रय किए जाने वाले मशीन उपकरणों की सही गुणवत्ता के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जबावदेह होंगे।

10. झारखण्ड वित्तीय नियमावली में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्त्व होगा।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव।

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के साथ निश्चित रुप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्याः–09/बजट–11–21/2024...176(9)वि... राँची, दिनांकः–...21.05.26...

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/प्राचार्य, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल, धनबाद/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार /विभागीय पी०एम०यू० कोषांग/योजना बजट प्रशाखा के कम्प्यूटर सहायक, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिन्हा)
अवर सचिव।

(ललित मोहन शुक्ला)
संयुक्त सचिव।

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।